भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 156

उत्तर देने की तारीख: 29.11.2021

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफ)

†156. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री सुब्रत पाठक:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री मनोज तिवारी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष श्री कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में स्कूल, शैशवकाल, शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए चार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफएस) विकसित करने के लिए एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति की रूपरेखा क्या है;

(ग) समिति के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या समिति ने रणनीति को समय-सीमा में पूरा करने के उद्देश्य से कार्रवाई करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी निर्णय लेने हेतु किसी विषय के विशेषज्ञों, विद्वानों, शिक्षाविदों आदि को आमंत्रित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोई परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (च) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पर आधारित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष श्री के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। समिति के विचारार्थ विषय:

1. एनईपी 2020 के भावी दृष्टिकोण के अनुसार, समिति चार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क अर्थात्- राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क तैयार करेगी।

2. समिति पाठ्यक्रम सुधारों के प्रस्ताव के लिए इन चार क्षेत्रों से संबंधित एनईपी 2020 की सभी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई), अध्यापक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करेगी।

3. समिति उपरोक्त सभी चार क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं पर राष्ट्रीय फोकस समूहों द्वारा अंतिम रूप से तैयार किए गए स्थिति पत्रों पर चर्चा करेगी।

4. समिति राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा संबंधी टेक प्लेटफॉर्म पर प्राप्त राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा से इनपुट प्राप्त करेगी।

5. सभी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भावी संबंधित क्षेत्रों पर कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों के प्रभाव को भी प्रतिबिंबित करेगी।

6. अपनी बैठकें आयोजित करते समय, समिति, जब भी आवश्यक हो विषय विशेषज्ञों, विद्वानों, शिक्षाविदों, आदि को आमंत्रित कर सकती है और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के विकास हेतु कार्यनीति की समय-सीमा पूरी करने के उद्देश्य के साथ जुड़ी कार्य योजना पर विचार-विमर्श और निर्णय ले सकती है।

7. समिति विभिन्न हितधारकों अर्थात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों को शामिल करने के बाद और एनसीईआरटी की कार्यकारी समिति (ईसी) और सामान्य निकाय (जीबी) और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की बैठकों में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को अंतिम रूप देगी।

8. राष्ट्रीय संचालन समिति का कार्यकाल इसकी अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

9. निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. संयोजक के रूप में कार्य करेगा और संचालय समिति को उसके अधिदेश को पूरा करने में सहायता करेगा।

10. आवश्यकता के अनुसार इसके संदर्भ की शर्तों का विस्तार किया जा सकता है।

****